


रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर - 98/2012 उनवान ओमप्रकाश बनाम सन्तरा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
24.12.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को बार-बार रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई। परन्तु प्रार्थी/वकील प्रार्थी इनमें से कोई भी न्यायालय समाप्ति समय तक उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी, अदम पैरजी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के संलग्न होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अहकाम मुकदमा नम्बर (98/2012) </p>	